

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम, हापुड़।
इजराय वाद सं0 127/2016
कम्प्यूटर सं0 130/2016
मैगमा फिनकोर्प बनाम भूपेन्द्र यादव आदि

दिनांक 31.05.2019:— अवकाश

दिनांक 01.07.2019:— पुकारा गया। पक्षकार अनुपस्थित है और कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। काफी समय से पक्षगण अनुपस्थित चल रहे हैं। अतः इजराय प्रार्थनापत्र पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(वीना नारायन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय प्रथम,
हापुड़।